झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
अष्टम् (बजट) सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 09 फाल्गुन, 1943 [श0] / 28 फरवरी, 2022 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01– (उ0 प्रा0)	अ0सू0– 11	श्री प्रदीप यादव	असमानता दूर करना।	योजना एवं विकास	22.02.2022
02– *	अ0सू0– 17	श्री सुदेश कुमार महतो	बेरोजगारी भत्ता देना।	वित्त	23.02.2022
03– (उ0 प्रा0)	अ0सू0– 03	डॉ0 लम्बोदर महतो	स्थानीय नीति लागू करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा	17.02.2022
04– (उ0 प्रा0)	अ0सू0– 10	डॉ0 सरफराज अहमद	आरक्षण की सुविधा प्रदान करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा	22.02.2022
05– (उ0 प्रा0)	अ0सू0– 02	श्री बिरंची नारायण	नौकरी एवं मुआवजा का भुगतान।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.02.2022
06– (उ0 प्रा0) *	अ0सू0– 08	श्री बंधु तिर्की	जाँच कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा	22.02.2022
07– (उ0 प्रा0)	अ0सू0– 01	डॉ0 लम्बोदर महतो	भाषा को वापस लेना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा	17.02.2022

*- अ.सू.-17- वित्त विभाग के पत्रांक-25, दिनांक-24-02-2022 के द्वारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में स्थानान्तरित।

*- अ.सू.-08 - कार्मिक, प्र. सु. एवं राज. विभाग के पत्रांक-1164, दिनांक-24-02-2022 के द्वारा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में स्थानान्तरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
08	अ0सू0— 06	श्री विनोद कुमार सिंह	नियुक्ति पर रोक हटाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा	17.02.2022
09	अ0सू0— 05	श्री विनोद कुमार सिंह	स्थानीय नीति में संसोधन।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा	17.02.2022
10	अ0सू0— 16	श्री प्रदीप यादव	कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	23.02.2022
11	अ0सू0— 07	श्री अमर कुमार बाऊरी	सी0बी0आई0 जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2022
12	अ0सू0— 15	श्री सरयू राय	आश्वासन पूरा करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	23.02.2022

राँची,
दिनांक— 28 फरवरी, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 01/2021.....496...../वि0स0, रांची, दिनांक— 25/02/2022
प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
25.02.22
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 01/2021.....496...../वि0स0, रांची, दिनांक— 25/02/2022
प्रतिः— माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
25.02.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 01/2021.....496...../वि0स0, रांची, दिनांक— 25/02/2022
प्रतिः— कार्यवाही शाखा/ बेवसाईट शाखा/ऑनलाइन शाखा एवं आश्वासन शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
25.02.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

सुभाष

25.02.22

(81)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28.02.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0 11 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न सामग्री	उत्तर
1.	क्या बात सही है कि विश्व के 200 प्रमुख अर्थशास्त्रियों के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के निचले तबके के 50% व्यक्ति की वार्षिक आमदनी 13% घटी है;	स्वीकारात्मक। दिसम्बर, 2021 से जनवरी 2022 के बीच कई ऐसे रिपोर्ट आये जो भारत के अन्दर व्याप्त आर्थिक असमानता और कोविड के कारण हुए उसके परिवर्तन को दर्शाते है। World Inequality Lab के द्वारा दिसम्बर, 2021 में World Inequality Report, 2022 प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार देश के निचले तबके के 50 प्रतिशत व्यक्तियों की वार्षिक आय देश की कुल वार्षिक आय का केवल 13 प्रतिशत है। कोरोना एवं लॉकडाउन के अवधि में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण इनकी आय में और भी कमी आयी। देश के 10 प्रतिशत सबसे धनी व्यक्तियों की आय निचले तबके के 50 प्रतिशत व्यक्तियों की औसत आय से 96 गुणा अधिक है। Oxfam International के द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार देश का सबसे धनी 1 प्रतिशत व्यक्तियों के पास देश का 77 प्रतिशत धन है। USA की संस्था National Bureau of Economic Research (NBER) ने भी देश में व्याप्त असमानता उजागर किया है।
2.	क्या बात सही है कि इसका दुष्प्रभाव झारखण्ड के निचले तबके के लोगों पर भी पड़ा है;	किसी भी अध्ययन एवं रिपोर्ट में देश के राज्यों के निचले तबके के व्यक्तियों के वार्षिक आमदनी पर हुए प्रभाव का जिक्र नहीं है। इसलिए झारखण्ड के निचले तबके के लोगो पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है इसके बारे में कुछ भी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह सही है कि कोरोना एवं लॉकडाउन के कारण राज्य में बेरोजगारी बढ़ी और प्रवासी मजदूरों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) के आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2020–21 में कोरोना के प्रथम लहर के दौरान् बेराजगारी में तीव्र वृद्धि हुई थी और यह दहाई अंको में पहुँच गया था। इसी समय में प्रवासी मजदूरो की भी वापसी हुई थी। ऐसे व्यक्तियों की आय में संभवतः कुछ कमी आयी होगी। वर्ष 2021–2022 के अप्रैल से जून महीनों के बीच आयी कोरोना के दूसरे लहर का असर राज्य पर बहुत ज्यादा नही पड़ा। राज्य के निचले तबके के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान के लिए झारखण्ड सरकार सतत् प्रयासरत रही है।

.....2

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस बढ़ती हुई असमानता को दूर करने हेतु कोई ठोस पहल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं, तो क्यों ?	सरकार द्वारा आम आदमियों के कल्याण एवं उनके जीवन यापन में सुधार हेतु कई कल्याणकारी एवं विकास योजनाएं यथा– • झारखण्ड असंगठित मजदूर कामगार सामाजिक सुरक्षा। • सर्वजन पेंशन योजना, अंतोदय अन्न योजना। • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा के तहत NFSA से छुटे हुए गरीब व्यक्तियों को अन्न वितरण की योजना राज्य सरकार के खर्च से। • किसानों को MSP का लाभ देकर उनकी आय बढ़ाने के लिए धान अधिप्राप्ति योजना। • सोना सोबरन, साड़ी धोती वितरण योजना। • कृषि ऋण माफी योजना का कार्यान्वयन की जा रही है। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के कौशल विकास प्रशिक्षण एवं उन्हें नियोजित करने का कार्य किया गया। सरकार व्यक्तियों के आय वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। • मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2019–2020 की तुलना में वर्ष 2020–2021 में 25 प्रतिशत ज्यादा कार्य दिवस का सृजन हुआ। 100 दिन पूरा करने वाले परिवारो की संख्या में भी वर्ष 2019–2020 की तुलना में वर्ष 2020–2021 में 269 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष भी राज्य 10.25 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है। • मनरेगा श्रमिको की मजदूरी को भी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से निर्धारित 198 रूपए से बढ़ाकर अपने खर्च से 225 रूपए कर दी है। • शहरी क्षेत्रो के श्रमिको के लिए भी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना चल रही है जिससे शहरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिको को रोजगार मिल रहा है।

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक–यो0वि0(वि0स0)–01 / 2022......191...................... / राँची, दिनांक........27/02/22

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को कुल 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.2.22

उप निदेशक–सह–उप सचिव

(3)

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड गजट द्वारा प्रकाशित संख्या–416, दिनांक–21 अगस्त, 2021, संख्या–417, दिनांक–21 अगस्त, 2021, 418, दिनांक–21 अगस्त, 2021 में उल्लिखित किया गया है कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना तथा अभ्यार्थी को स्थानीय रीति–रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, परंतु झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यार्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के निवासी जो राज्य के बाहर निजी क्षेत्रों में या केन्द्र सरकार के उपक्रमों में काम करने के लिए परिवार के साथ बाहर में रहते हैं और उनके बच्चे राज्य के बाहर के स्कूलों में ही पढ़ते हैं उन्हें खण्ड–(1) में वर्णित प्रावधानों के कारण सरकारी नौकरी से वंचित रहना पड़ेगा;	झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्यहित में उक्त त्रुटिपूर्ण गजट को निरस्त कर सरकार नियोजन के लिए 1932 का खतियान या अंतिम सर्वे को आधार मानकर स्थानीय नीति लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में लागू स्थानीय नीति की पुनर्समीक्षा हेतु एक त्रि–सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–05/2022 का0–1236 /रांची, दिनांक 26.02.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–135, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(43)

डॉ0 सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संकल्प सं0–1433, दिनांक–15.02.2019 के आलोक में राज्यस्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण (अनुसूचित जन जातियों, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए) अधिनियम–2001 यथा संशोधित की धारा 1(3) के अनुसार "राज्यस्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा किन्तु जिलास्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जो तिथि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के द्वारा नियत करे" का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि जिला स्तरीय नियुक्तियों में आर्थिक रूप से पिछड़े (EWS) नागरिकों के वर्ग को 10% आश्रय देय नहीं है;	झारखण्ड पर्दो एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 यथा संशोधित की धारा 1(3) के अनुसार "राज्यस्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा किन्तु जिलास्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जो तिथि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के द्वारा नियत करे" का प्रावधान है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिलास्तरीय नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों (EWS) के वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / ज्ञा0वि0स0–07–06 / 2022 का0–1238 / रांची, दिनांक 26.02.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–142, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०– 02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित झारखण्ड के सभी जिलों के अंगर्तत 223 नक्सलियों–उग्रवादियों ने सरेंडर पॉलिसी, 2010 बनने के बाद सरेंडर किया है और झारखण्ड बनने के बाद से लेकर अब तक 1868 लोगों की नक्सली हिंसा में जान गई है तथा इनमें से मात्र 600 आश्रित परिवारों को ही सरकारी नौकरी और मुआवजा प्राप्त हुआ है, जबकि नक्सलियों और उग्रवादियों को सरेंडर करते ही तत्काल सभी सुविधाऐं मिल जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक झारखण्ड सरकार द्वारा 2010 से लागू किये गए आत्मसमर्पण नीति के तहत जनवरी 2022 तक कुल 231 नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। झारखण्ड राज्य निर्माण से अब तक कुल 1587 आम नागरिकों की मृत्यु नक्सली घटना में हुई है, जिसमें 794 मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं 1086 को अनुदान राशि का लाभ दिया गया है।
02	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में नक्सली और उग्रवादी हिंसा के शिकार लोगों के परिजनों के उक्त लंबित मामलों पर विचार करते हुए सरकारी नौकरी और मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उग्रवादी हिंसा में मारे गये सामान्य नागरिक के वैध आश्रित को संबंधित जिला से एतदसंबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर सरकारी प्रावधानुसार विचार करते हुए अनुमान्य ,अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति एवं अनुग्रह अनुदान के भुगतान की स्वीकृति की कार्रवाई सरकार द्वारा अनवरत् रूप से दी जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18 / वि०स० (02) 01 / 2022......790....../ राँची, दिनांक–...26../02../2022

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–136 / वि०स०, दिनांक–17.02.2022 आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22
(प्रदीप तिग्गा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(6)

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या 03/2015 के अन्तर्गत सहायक कृषि निदेशक/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी हेतु नियुक्ति की अधियाचना निकाली गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित छात्रा नेहा कुमारी जिसका रोल नं0– 30151042 JPSC विज्ञापन संख्या–03/2015 मुख्य परीक्षा परिणाम BC-II कैटेगरी में थी, लेकिन साक्षात्कार (Interview) के बाद अंतिम परिणाम BC-I कैटेगरी में प्रकाशित की गयी;	झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक 760 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित छात्रा नेहा कुमारी रौल नं0– 30151042 का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल BC-II कैटेगरी में प्रकाशित हुआ था तथा साक्षात्कार के बाद अंतिम परीक्षाफल BC-I कैटेगरी में प्रकाशित किया गया। विज्ञापन संख्या–03/2015 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 10.12.2015 से दिनांक 09.01.2016 तक आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी अनुक्रमांक– 30151042 द्वारा ऑनलाईन आवेदन में BC-II कैटेगरी आरक्षित श्रेणी में आरक्षण का दावा किया गया था। उनके द्वारा दिनांक 15.12.2015 को ऑनलाईन आवेदन भरा गया था तथा आवेदन पत्र में Caste Certificate No. CST/1601//14/03/815 दिनांक 07.07.2014 द्वारा BC-II कैटेगरी का दावा किया गया था। तदालोक में लिखित परीक्षा में उनका परीक्षाफल BC-II कैटेगरी में प्रकाशित किया गया। पुनः उक्त अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 07.12.2021 को साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन के क्रम में BC-I कैटेगरी में आरक्षण का दावा किया गया। इस दावे के क्रम में उनके द्वारा दिनांक 07.08.2018 को आयोग को समर्पित आवेदन तथा संलग्न जाति प्रमाण–पत्र जो अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, हजारीबाग के प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC/2017/762432 दिनांक 19.06.2017 द्वारा निर्गत है तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प ज्ञापांक 6548 दिनांक 23.07.2015 की प्रति संलग्न करते हुए BC-I आरक्षण श्रेणी में आरक्षण का लाभ अनुमान्य करने का अनुरोध किया गया। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्र संख्या 10080 दिनांक 27.11.2015 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि तेली (कुल्लु/गोराई) जाति के व्यक्तियों को नियुक्ति प्रक्रिया के अधीन यदि आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि 23.07.2015 के बाद पड़ती हो, तो उस जाति के व्यक्ति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची (अनुसूची–1) के आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी रोल नं0 30151042 के द्वारा दिनांक 15.12.2015 को ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था तथा संदर्भित विज्ञापन संख्या 03/2015 के तहत

		आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 09.01.2016 निर्धारित थी, अतः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के उपर्युक्त संकल्प एवं पत्र के आलोक में उक्त अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त साक्षात्कार के उपरान्त अंतिम परीक्षाफल आरक्षित श्रेणी BC-I में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया एवं तदनुसार परीक्षाफल प्रकाशित किया गया।
3.	क्या यह बात सही है कि नेहा कुमारी जिसका रोल नं0– 861908 बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या– 86/2014 में सहायक कृषि निदेशक पद के लिए BC-II कैटेगरी का लाभ ले चुकी है;	उपर्युक्त कंडिका 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार JPSC द्वारा कराये गये नियुक्ति प्रक्रिया में बरती गयी धाँधली तथा एक ही अभ्यर्थी द्वारा दो राज्यों में अलग–अलग कैटेगरी का लाभ लेने का यथाशीघ्र जाँच कराने और दोषी पदाधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06– 08/2022 का0 1252 /राँची दिनांक– 26 फरवरी, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 140 दिनांक 22.02.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2022

सरकार के अवर सचिव।

(7)

डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 8630 दिनांक 20.12.2021 के द्वारा झारखण्ड राज्य के बोकारो व धनबाद जिले में भोजपुरी एवं मगही को तथा राज्य के अन्य जिलों में अंगिका, भोजपुरी एवं मैथिली को जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है;	अस्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची की अधिसूचना संख्या 953 दिनांक 18.02.2022 द्वारा अधिसूचना संख्या 8630 दिनांक 20.12.2021 को विलोपित कर दिया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या 953 दिनांक 18.02.2022 द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिला स्तरीय पदों के लिए पत्र 2 हेतु चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची में बोकारो एवं धनबाद जिल के लिए भोजपुरी एवं मगही को शामिल नहीं किया गया है। जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची में दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा एवं देवघर के लिए अंगिका को शामिल किया गया है। सूची में मैथिली शामिल नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे झारखण्ड राज्य में भाषा संबंधी आंदोलन पूरे चरम पर है और लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है;	विभागीय अधिसूचना संख्या 8630 दिनांक 20.12.2021 को विलोपित कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अधिसूचना को निरस्त करते हुए बोकारो व धनबाद जिले से भोजपुरी एवं मगही के साथ–साथ राज्य के अन्य जिलों से अंगिका एवं मैथिली को वापस लेना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिला स्तरीय पदों के लिए पत्र 2 हेतु चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची में मैथिली भाषा सम्मिलित नहीं है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिला स्तरीय पदों के लिए पत्र 2 हेतु चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को सम्मिलित/विलोपित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–05/2022 का0 1130 /राँची दिनांक– 23 फरवरी, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 131 दिनांक 17.02.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2022
सरकार के उप सचिव।

(8)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग के पत्र संख्या–1044, दिनांक–18.02.2021 के द्वारा विज्ञापन संख्या–21/2016 में 11 अनुसूचित जिला में रिजल्ट के प्रकाशन एवं नियुक्ति पर रोक लगाई गई है;	अंशतः स्वीकारात्मक। कार्मिक विभाग के पत्र सं0–1044, दिनांक–18.02.2021 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं0–21/2016 के क्रम में गैर–अनुसूचित जिलों के परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए विभागीय पत्रांक–5974, दिनांक–23.11.2020 को आहरित करने का निर्णय लिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि विज्ञापन संख्या–21/2016 में आरक्षित 25% सीट पर सीधी नियुक्ति (अनिवार्य 6 विषय) हेतु स्कूली शिक्षा विभाग ने पत्रांक–2264, दिनांक–29.08.2019 के द्वारा जे0एस0एस0सी0 से अनुशंसा मांगी थी;	अंशतः स्वीकारात्मक। स्कली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक–441, दिनांक–26.02.2022 द्वारा निम्न प्रतिवेदित किया गया है:– "वस्तुस्थिति यह है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं0–21/2016 के तहत् सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु आरक्षित 25% पदों के विरुद्ध अधिकांश पद रिक्त रह जाने के कारण उक्त रिक्त पदों को नियुक्ति नियमावली– " झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015" के नियम 9 (1) के आलोक में 75% प्रतिशत के गैर अनुशंसित अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थियों से भरने हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रश्न ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की बैठक दिनांक–07.02.2019 की अनुशंसा एवं विधि (न्याय) विभाग,झारखण्ड, रांची से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय पत्रांक–2264, दिनांक–29.08.2019 की कंडिका–3 द्वारा निम्न आदेश आयोग को प्रेषित है:– (i) माध्यमिक स्तर पर Compulsory विषय यथा– हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास/नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित/भौतिकी एवं जीवविज्ञान/रसायनशास्त्र है। इन विषयों के 25 प्रतिशत अन्तर्गत रिक्त पदों को पहले भरा जाय। (ii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची सीधी भर्ती (75%) के तहत् शत–प्रतिशत एवं 25% के तहत् सुयोग्य अभ्यर्थी की अनुशंसा जिस जिले में जिस विषय यथा– हिन्दी, अंग्रेजी, गणित/भौतिकी, जीव विज्ञान/रसायन शास्त्र एवं भूगोल में प्रेषित कर चुके हैं, उन्हीं जिलों के सफल अभ्यर्थियों (75% गैर अनुशंसित) का प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों हेतु आरक्षित 25 प्रतिशत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों के विरूद्ध आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार एवं विषयवार भरने हेतु अनुशंसा करेंगे। (iii) संस्कृत विषय में विद्यार्थी के अनुपात में अनुशंसित शिक्षक संख्या के मद्देनजर कंडिका 3 (ii) के अनुरूप कार्रवाई की जाय। (iv) 75 प्रतिशत के सुयोग्य अभ्यर्थी जिनकी अनुशंसा नहीं की जा सकी है, की अनुशंसा कोटिवार, जिलावार एवं विषयवार मेरिट के क्रम को भंग किए बिना 25 प्रतिशत के रिक्त पद पर विज्ञप्ति के रोस्टर के अनुरूप अविलंब अनुशंसा कंडिका 3(ii) एवं 3(iii) में ही की जाय। उक्त निदेश के आलोक में आयोग से अनुशंसा प्राप्त नहीं हुआ है।"

3.	क्या यह बात सही है कि आज दो साल बाद भी कार्मिक विभाग के उपरोक्त रोक के कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही है;	विभागीय पत्रांक–6356, दिनांक–06.10.2021 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास/नागरिक शास्त्र विषय में प्राप्त अनुशंसाओं पर नियुक्तियाँ पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 25% सीटों पर गैर अनुसूचित जिलों में लगी रोक हटाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 3 से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–03/2022 का0–1259/रांची, दिनांक 28/02/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–132, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(9)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 के तहत् राज्य में 30 वर्ष से रह रहे नागरिकों को स्थानीय निवासी का दर्जा दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 की कंडिका 2 (ii) में झारखण्ड के स्थानीय निवासी होने की शर्त निम्नवत् है:– "किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल संपत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हों एवं झारखण्ड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।"
2	क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प के कारण राज्य की नियुक्तियों में आरक्षित श्रेणी एवं अनारक्षित श्रेणी में खतियानी व मूलवासी युवाओं का नियोजन घट रहा है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा सीधी भर्ती में 60% आरक्षण निर्धारित है, जो झारखण्ड के ही अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग को अनुमान्य है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के खतियानी व मूलवासी के हित में स्थानीय नीति में संशोधन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में लागू स्थानीय नीति की पुर्नसमीक्षा हेतु एक त्रि–सदस्यीय मंत्रिमण्डलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–02/2022 का0–1237/रांची, दिनांक–26.02.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–133 वि0स0, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(10)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०– 16 का उत्तर प्रतिवेदन।

<table>
<tr><th>क्रं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>01</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में नशीले पदार्थों के तस्करी के मामले में वर्ष 2016 से 2021 के बीच 5 गुणा इजाफा हुआ है,</td><td>स्वीकारात्मक
राज्य में नशीले पदार्थों के तस्करी के मामले में पिछले 06 वर्षों का विवरणी इस प्रकार है–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>कांड दर्ज</th><th>गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या</th></tr>
<tr><td>2016</td><td>142</td><td>164</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>186</td><td>165</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>237</td><td>301</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>256</td><td>318</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>398</td><td>518</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>596</td><td>905</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>02</td><td>क्या यह बात सही है कि इन मामलों में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्यवाई एवं लंबे समय तक जेल में रखने के लिए पीटएन०टी०पी०एस० एक्ट–1988 के सेक्शन–3 में कार्यवाई आवश्यक है,</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>03</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में कार्यवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>इस दिशा में सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है यथा–
1. Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances (PIT NDPS) Act. 1988 की धारा–03 के तहत दो कुख्यात अपराधकर्मी 01. इद्रमणी सेठी उर्फ इन्द्रमणी सेठ एवं 02. मधु महतो को कारा में निरूद्ध किया गया है।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या–6583, दिनांक–06.12.2019 के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा निरूद्धादेश पारित करने हुए Detaining Authority नामित किया गया है। साथ ही निरूद्ध किये जाने के उपरांत परामर्शी पर्षद (Advisory Board) से सम्पुष्टि कराने हेतु झारखण्ड उच्च न्यायालय में परामर्शी पर्षद Advisory Board) का गठन किया गया है।</td></tr>
</table>

		3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, रॉंची के ज्ञापांक–02, दिनांक–03.01.2022 के द्वारा राज्य के सभी उपायुक्त / वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को उक्त अधिनियम के तहत निरूद्धादेश पारित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18 / वि०स० (02) 03 / 2022..........788.......... / राँची, दिनांक–...26 / 02... / 2022

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को उनके पत्रांक–175 / वि०स०, दिनांक–23.02.2022 आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

(प्रदीप तिग्गा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(113)

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि 4 जनवरी 2022 को सिमडेगा जिलान्तर्गत कोलेबीरा थाना के बेसराजारा गांव के संजू प्रधान को ग्रामीणों की उग्र भीड़ ने पीटा एवं उन्हें जिंदा जला दिया,	अस्वीकारात्मक। संजू प्रधान को जिंदा नहीं जलाया गया। रिम्स, राँची के चार चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि संजू प्रधान को कड़े एवं भोथरे हथियार से मारपीट किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के उपरान्त शव को जलाया गया।
2. क्या यह बात सही है कि जिस वक्त संजू प्रधान की भीड़ द्वारा हत्या की जा रही थी, उस समय स्थानीय पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद था और संजू प्रधान की पत्नी के लाख मिन्नत करने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की,	वस्तु स्थिति यह है कि किसी एक व्यक्ति के साथ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मारपीट की घटना की सूचना पाकर जब पुलिस टीम सामान्य अवस्था में बेसराजरा बाजारटांड़ पहुँची तो 500–600 की संख्या में उग्र भीड़ ने पुलिस टीम को घेर कर उसके साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट किया तथा रायफल छीनने का भी प्रयास किया गया। जब बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं पदाधिकारी वहाँ पहुँचे तो भीड़ छटी तब तक घटना कारित की जा चुकी थी। इस संबंध में अलग से कोलेबिरा थाना काण्ड सं0–04/2020 दि०–05.01.2020, नामजद 13 अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध प्रतिवेदित हुआ है, जो काण्ड अनुसंधानन्तर्गत है।
3. क्या यह बात सही है कि स्वर्गीय संजू प्रधान बेसराजारा स्थित अपने घर के सामने लगने वाले हाट में संजू प्रधान द्वारा खुलेआम गौ मांस की बिक्री का विरोध करता था, जिसके कारण कतिपय लोग संजू प्रधान से काफी नाराज थे।	अस्वीकारात्मक। अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। घटना का तात्कालिक कारण खूँटकट्टी भूमि से संजू प्रधान द्वारा अवैध रूप से लकड़ी काटना बताया गया है। मृतक संजू प्रधान कुल तीन नक्सली काण्डों क्रमशः 1. कोलेबिरा थाना काण्ड संख्या 26/2013, दि०–10.04.2013, धारा–212/216 भा०द०वि०, 17 (i) (ii) सी०एल०ए० एक्ट, 2. सिमडेगा सदर थाना काण्ड संख्या–49/2013, दि०–9.4.2013 धारा–414/420/467/468/471/212/216 भा0द0वि0 17 (i) (ii) सी०एल०ए० एक्ट एवं 3. ठेठईटांगर थाना काण्ड संख्या–08/2014 दि०–23.03.2014, धारा–414/216/120बी/353 भा० द०वि० 17 सी०एल०ए० एक्ट में प्राथमिकी की मूल धाराओं के अन्तर्गत आरोप–पत्रित (चार्जशीटेड) रहा है, जबकि वन विभाग, सिमडेगा (ठेठईटांगर) के द्वारा भी अपराध प्रतिवेदन–151/2021, दिनांक–21.10.2021 के तहत संजू प्रधान के विरुद्ध मामला दर्ज है, जिसमें 34 बोटा साल (सखुआ) अवैध चोरी की लकड़ी जब्त की गयी है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, क्या सरकार पूरे घटनाक्रम की जांच सी०बी०आई० से करवाने एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं, तो क्यों?	इस काण्ड के सभी 13 नामजद अभियुक्तों को उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में निरंतर सघन छापामारी के पश्चात् बिना विलम्ब किये गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध दिनांक–27.01.2022 को आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। अब काण्ड का अग्रिम अनुसंधान राज्य के विशेष इकाई अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड के स्तर से किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–02/2022.....790..../ राँची, दिनांक–.....26/..02../..2022 ई0

प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–153/वि0स0, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

(12)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–02.11.2021 को विभिन्न जिलों के आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों के प्रतिनिधियों एवं पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), झारखण्ड तथा अपर गृह सचिव, झारखण्ड सरकार के बीच आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों द्वारा समर्पित मांग पत्र पर वार्ता हुई;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वार्ता में निर्णय लिया गया कि अगले दो माह में आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों की सभी आठ सूत्री मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार कर इनके समाधान हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अपर गृह सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार के उपर्युक्त आश्वासन के आधार पर सहायक पुलिस कर्मियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया, परन्तु आश्वासन के तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है;	दिनांक–02.11.2021 को विभिन्न जिलों के आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ उनके द्वारा समर्पित मांग पत्र पर अपर गृह सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) के बीच हुए सहमति के पश्चात आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। उक्त सहमति पत्र/मांग पत्र पर सक्षम प्राधिकार द्वारा यथोचित निर्णय लिए जाने के निमित्त पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताना चाहती है कि सहायक पुलिस कर्मियों को दिये गये आश्वासन अब तक पूरा नहीं होने का कारण क्या है तथा सरकार इसे कब तक पूरा करना चाहती है?	उपर्युक्त कंडिका–3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–02/2022–....789..../ राँची, दिनांक– 26/02/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–174, दिनांक–23.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22
सरकार के संयुक्त सचिव।